रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2007/अग्रहायण 16, 1929
No. 542] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2007/AGRAHAYANA 16, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 761(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के उपरांत, जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में ढील) नियम, 1997 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में ढील) संशोधन नियम, 2007 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में ढील) नियम, 1997 में, नियम 1, के उप-नियम (3) में "2007" अंकों के स्थान पर, अंक "2009" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 15012/7/1991-स्थापना (घ)]
सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 208(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :—

(i) सा.का.नि. 826(अ) दिनांक 27 दिसम्बर, 1999

(ii) सा.का.नि. 919(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2001

(iii) सा.का.नि. 879(अ) दिनांक 10 नवम्बर, 2003

(iv) सा.का.नि. 707(अ) दिनांक 6 दिसम्बर, 2005

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2007

G.S.R. 761(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Rules, 1997, namely :—

1. (1) These rules may be called the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age

Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Residents of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Rules, 1997, in rule 1, in sub-rule (3), for the figures "2007", the figures "2009" shall be substituted.

[F. No. 15012/7/1991-Estt. (D)]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 208(E) dated the 10th April, 1997 and subsequently amended *vide* the following :—

(i) G.S.R. 826(E) dated the 27th December, 1999

(ii) G.S.R. 919(E) dated the 22nd December, 2001

(iii) G.S.R. 879(E) dated the 10th November, 2003

(iv) G.S.R. 707(E) dated the 6th December, 2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.